अपीलांट सं0 1 से 3 ने अपर जिला कलेक्टर जोधपुर ग्रामीण में अपील सं0 56/2024 अनवान चिमाराम वगैरा बनाम अमेश बेरड वगैरा प्रस्तुत की गई। जो आदेश दिनांक 8.8.24 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार ओसियां का आदेश दिनांक 11.6.24 निरस्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा उक्त तथ्यों का छुपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार ओसियां की मौका रिपोर्ट को आधार बना कर आरएलआर एक्ट की धारा 131, 132, 136 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 30.9.21 के प्रावधानांतर्गत आदेश पारित किया गया, उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है। रेस्पो0सं0 2 के ख0नं0 135/5 एवं खसरा नं0 43 के बीच में से कटाणी रास्ता खसरा नं0 35 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसे रेस्पो0सं0 2 के परिजनों ने मौके पर बन्द कर अपनी खातेदारी भूमि में मिला लिया है। रेस्पो0सं0 2 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित केवियटर अधिवक्ता द्वारा फार्म नं0 3 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील ओसियां के ग्राम रतननगर के खसरा नं0 4 में दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे एक कदीमी रास्ता वक्त बंदोवस्त से चलायमान है व पिछले 24 वर्षो से ग्रेवल सड़क बनी हुई है। यह कदीमी रास्ता जोधपुर से देचू डामर सडक से शुरू होकर आगे बस स्टेण्ड चण्डालिया जाता है, इसका कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0सं0 2–प्रार्थी की ढाणी खसरा नं0 134/5 में बनी हुई है एवं उसके आने–जाने का यह एक मात्र कदीमी रास्ता है व इसका उपयोग व उपभोग वह जन्म से करता आ रहा है। इस कारण उसे रास्ते का सुखाचार का अधिकार प्राप्त है। दिनांक 1.6.24 को अपीलांट्स एवं अन्य विप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 251 आरटी एक्ट के तहत तहसीलदार ओसियां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें हल्का पटवारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की जाकर उक्त कदिमी रास्ते से अतिक्रमण हटवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण को जारी समन की डाक रसीदे दिनांक 11.11.24 को प्रस्तुत की गई थी तथा अंतिम सुनवाई का अवसर दिनांक 18.12.24 को अवसर दिया गया, जिसमें अपीलांट्स एवं अन्य विप्रार्थी अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। प्रकरण में विप्रार्थी सं0 1–तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी व रिपोर्ट अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। दिनांक 9.1.25 की ऑनलाई जमाबंदी सत्य प्रतिलिपी के अनुसार उक्त रास्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जा चुका है एवं मौका फर्द दिनांक 8.1.25 के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। अपीलार्थीगण को चालू रास्ता बंद करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट के आधार पर गई है। वकील अपीलांट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय ने तहसीलदार ओसियां से रिपोर्ट तलब नही करने के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अतः उक्त प्रकरण दोनों पक्षों की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय को सभी हितबद्ध खातेदारों की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना न्यायोचित समझा जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण सं0 55/2024 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2024 अपीलांट्स के खसरा नं0 4 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों/सह–खातेदारों की सुनवाई कर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, पुन. नये सिरे से 02 माह के भीतर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय तक उभय पक्ष यदि मौके पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नं0 140/4 व 138/134 गै0मु0 रास्ता चालू है, तो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 10 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

10.01.25

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 20/2025

चिमाराम पुत्र नवलाराम व अन्य
बनाम
त्हसीलदार ओसियां वगैरा

दिनांक 10.01.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट, 1956 के तहत राजस्व प्रकरण संख्या 55/2024 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गईहै। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व रेस्पो0सं0 2–प्रार्थी–अमेश बेरड की ओर से केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्ष उपस्थित, जिनकी सहमति पर प्रकरण में गुणावगुण पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि तहसील ओसियां के ग्राम रतननगर स्थित उसके खातेदारी ख0नं0 134/5 एवं अपीलांट के खातेदारी ख0नं0 04 में दक्षिणी माठ के सहारे एक कदीमी रास्ता वक्त सेटलमेंट से चलायमान है व गत वर्षो से ग्रेवल सड़क बनी हुई है। यह कदीमी रास्ता जोधपुर–देचू डामर रोड से शुरू होकर आगे बस स्टेण्ड चण्डालिया तक जाता है। जो राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटी से दर्ज होने से रह गया है। अतः खसरा नं0 4 के दक्षिणी माठ के सहारे राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज कराने का आदेश फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.24 को दर्ज कर अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थी सं0 1 को तलब करने का आदेश दिया तथा दिनांक 18.12.24 को एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जबकि विधि अनुसार हितबद्ध खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट्स के खातेदारी ख0नं0 4 की भूमि में से 0.0548 हैक्टर भूमि व खसरा नं0 134/5 में से 0.0133 हैक्टर भूमि का राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। मौके पर अपीलांट्स के खसरा नं0 4 में किसी प्रकार का रास्ता चलायमान नही है। पूर्व में रेस्पो0सं0 2 ने तहसीलदार ओसियां के समक्ष धारा 251 आरटी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र सं0 15/2024 अनवान अमेश बेरड बनाम चिमाराम प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 10.6.24 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर